छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/ 124 :– "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना **"मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र"** बनाती है :–

(क) योजना का नाम :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र"** होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PIL क्र0 916/2020 के आदेश के परिपालन में छ0ग0 राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसके बिन्दु क्र0 11 एवं बिन्दु क्र0 12 के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र (**Labour Resource Centres**) के माध्यम से जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को जागरूक/साक्षर करना तथा उनकी सहायता करना जिससे कि उनके हितों का संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा वे शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. श्रमिकों की सहायता के लिए विकासखण्ड व जिला स्तर पर श्रम संसाधन केन्द्र का संचालन किया जावेगा।
2. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र का जिला स्तर पर संचालन श्रम विभागीय कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जनपद पंचायत कार्यालय अथवा आवश्यकतानुसार निजी भवन में किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र में एक कार्यालय सहायक (सहायक ग्रेड–2/3) एवं एक भृत्य आवश्यकतानुसार मण्डल द्वारा अनुबंधित संस्थान के माध्यम से रखे जावेंगे।
4. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन/निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जावेगी। उक्त समिति द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन के संबंध में समय–समय पर निरीक्षण उपरांत केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित करेगी।

निरंतर..........2

(घ) योजना में देय हितलाभ :–

मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से श्रमिक पंजीयन, मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ के परिपेक्ष्य में त्वरित सहायता प्रदाय करना।

(ङ.) योजना हेतु पात्रता :–

योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

(च) मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र संचालन हेतु संबंधित कार्यालय का दायित्व :–

1. श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों को विधिक, वित्तीय एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक/साक्षर करना।
2. श्रम संसाधन केन्द्र (**Labour Resource Centres**) को प्राप्त श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को हेल्पलाईन के पोर्टल में दर्ज किया जाकर निराकरण किया जायेगा।
3. श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा हेल्पलाईन सेंटर के समन्वय से सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रक्रिया तैयार कर शिकायतों का निवारण करने में सहायक होंगे।
4. श्रम संसाधन केन्द्र के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर श्रम मित्रों/श्रम संयोजकों का कैडर तैयार किया जावेगा, जो कि श्रम उद्यमी के रूप में कार्य करेंगे।
5. जिला श्रम कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक/श्रम कल्याण निरीक्षक/कल्याण अधिकारी/कल्याण निरीक्षक द्वारा उक्त केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(छ) भुगतान की प्रक्रियाः–

श्रम संसाधन केन्द्र की अद्योसंरचना (बिल्डिंग, मानव संसाधन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, फर्नीचर, वेब पोर्टल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, स्टेशनरी एवं डाक टिकिट इत्यादि) पर होने वाला समस्त व्यय छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा शासन के निर्धारित दर पर वहन किया जावेगा।

(झ.) विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

निरंतर................................3

(ञ) **योजना की प्रभावशीलता :–**

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

23/11/2022

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/4981-4996 अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

निरंतर..............................4

14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

23/11/2022

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर